

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:- कैलाश चन्द गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

प्रकरण संख्या- 77/2022

1. कैलाश बाई पत्नि बालमुकुन्द जाति मीणा आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
2. फूलचन्द पुत्र घासी माली जाति माली आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा।
3. रोडी बाई पुत्री घासी जाति माली आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा।
4. श्यामलाल पुत्र घासी माली जाति माली आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा।
5. हेमराज माली पुत्र श्यामलाल माली जाति माली आयु आयु बालिग निवासी बडौदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।

विरुद्ध

प्रार्थीगण

जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्राची की ओर से - श्री पराग त्रिपाठी।

दिनांक:- 08.06.2022

-:आदेश:-

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मौजा बडौदिया प0ह0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 280 खसरा संख्या 630 रकबा 0.4400 है0, खसरा संख्या 635 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 638 रकबा 0.2600 है0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.7500 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जेकाशत की है जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 630, 635, 638 के पडौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मोकें पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मोकें पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीगण की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जनाबंदी एवं नक्शा ड्रैस प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अनिलेख का निरीक्षण किया- प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है ग्राम मौजा बडौदिया प0ह0 बडौदिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076-79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका खाता संख्या 280 खसरा संख्या 630 रकबा 0.4400 है0, खसरा संख्या 635 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 638 रकबा 0.2600 है0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.7500 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम पर सहखातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिक्क भुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिव नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मोकें पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्वी मौका एवं मौका ड्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/-रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर एमार फंसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय के इजाजत में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़